

पृ.क्र.- 227

पंचला	अगला

135

## कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)

### मुद्रितमोराल

क्रमांक/एफ-5/2008/10-10/1347

मोराल दिनांक/26/4/08

प्रति,

समस्त

वन संरक्षक (क्षेत्रिय)

मध्य प्रदेश



विषय:- रात्री कालीन आरामशीन का संचालन करने बाबत।

—00—

विषयार्थीतः कुछ टिम्बर मर्डन्ट एसोसिएशनों के द्वारा आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। जिससे छोटी समस्या होने के कारण रात्री कालीन आरामशीन चलाने हेतु अनुमति चाही है, जो कि काष्ठ धिरान अधिनियम के विरुद्ध है दिजली की समस्या प्रदेश में आम समस्या है इसके लिये उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। रात्रि में आरामशीन संचालन की अनुमति देने से प्रदेश के वन एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल असर होगा। इसे दृष्टिगत रखते हुए ही काष्ठधिरान अधिनियम में रात्रि में आरामशीन का संचालन नहीं होना चाहिये। वन एवं वन्य भ्राण्डी सुरक्षा की दृष्टि से आरामशीन का संचालन नियंत्रित एवं पूर्ण देखरेख में ही होना चाहिये।

*अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)*

मध्य प्रदेश